

# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर

ईमेल—cfoudn.ukfs@gmail.com

पत्रांक: न-3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2023

दिनांक अगस्त 05, 2025

स्वामी/प्रबन्धक

मै0 नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह

निकट-जी0जी0आई0सी0 चम्पावत

जिला चम्पावत।

विषय:- स्थापना पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

आपके ऑनलाईन आवेदन यूआईडी नं0-94965302 दिनांक 04.08.2025 के अनुसार प्रस्तावित स्थल का प्रभारी अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कराया गया, प्रभारी अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्थलीय निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रस्तावित स्थल का कुल प्लॉट एरिया-2800 वर्ग मी0 है एवं कुल कवर्ड एरिया 3402.21 वर्ग मीटर है। प्रश्नगत स्थल पर भवन निर्माण का कार्य प्रचलित है, जिसमें 04 तलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया 807 वर्गमी0 है। प्रश्नगत स्थल का सैट-बैंक कमश: अग्र-08 मी0, पृष्ठ-6.5 मी0, पार्श्व1-06 मी0 एवं पार्श्व2-05 मी0 छोड़ा गया है। निरीक्षण तिथि को प्रश्नगत स्थल तक अग्निशमन वाहन सुगमता से पहुँच सकता है। निरीक्षण तिथि को प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई भी विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है। निर्देशित किया जाता है कि शैक्षणिक भवन के निर्माण के समय/निर्माणोपरान्त निम्नांकित अग्निशमन एवं सुरक्षा व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी:-

- प्रश्नगत स्थल पर भवन निर्माण का कार्य राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 संशोधित-2016 भाग-03 एवं भाग-04 में निहित मानकों तथा उत्तराखण्ड भवन निर्माण उपविधि (यथासंशोधित) में निहित मानकों के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रस्तावित भवन में मानक के अनुसार सैट-बैंक कमश: अग्र-7.5 मी0, पृष्ठ-4.5 मी0, पार्श्व1-4.5 मी0 एवं पार्श्व2-4.5 मी0 छोड़ा जाना अनिवार्य होगा।
- प्रस्तावित स्थल के टैरेस पर 10 हजार ली0 क्षमता का टैरेस टैंक व 900 ली0प्रतिमिनट क्षमता का टैरेस पम्प का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रस्तावित स्थल के प्रत्येक तल पर मानकानुसार उचित दूरी हॉजरील्स एवं डाउनकमर का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।
- प्रस्तावित स्थल पर मैनुवली आपरेटेड इलैक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।
- भवन के आच्छादित क्षेत्र में मानकानुसार उचित दूरी पर फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित किए जाने आवश्यक होंगे।
- सुझाये गये समस्त उपकरण/यंत्र भारतीय मानक द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
- संस्थान में की जाने वाली विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 तथा ई0एल0सी0बी0 पर आधारित होगी।
- प्रस्तावित स्थल पर पृथक इलैक्ट्रिक रूम का प्राविधान करते हुए, इलैक्ट्रिक पैनल की सुरक्षा हेतु 10 किग्रा0 क्षमता के मॉड्यूलर टाइप ए0बी0सी0 एवं सीओडू फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाए।
- प्रस्तावित स्थल में निकासी प्लान का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रस्तावित स्थल पर सेपटी साइन एज का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रस्तावित स्थल में प्रत्येक तल पर निकासी हेतु 02 जीनो का प्राविधान करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रस्तावित स्थल पर असेम्बली प्वाइंट का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रस्तावित स्थल पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2016 पार्ट-4 फायर एण्ड सेपटी के पृष्ठ सं0-32 के Table 5 Travel Distance (Based on Occupancy and Construction type) (Clauses 4.4.2.1 and 4.4.2.2) में दिये गये प्राविधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक होगा।
- भवन निर्माण के उपरान्त सम्बन्धित विकास प्राधिकरण से भवन में मानकानुसार दिये गये प्राविधान पूर्ण किये जाने का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

उपरोक्तानुसार मै0 नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह निकट-जी0जी0आई0सी0 चम्पावत को स्थापना पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 (संशोधन-2016) के अनुसार कराकर भवन अध्यासन से पूर्व इस कार्यालय से प्रश्नगत स्थल का भौतिक सत्यापन कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

19/8/25  
(ईशान कटारिया)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
उधमसिंहनगर

